दिनांक 27.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 39/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–विभिन्न कम्पनियों की नकली दवाओं को विक्रय करने वाला मेसर्स हे–माँ मेडिको एजेन्सी के मालिक हिमांशु अग्रवाल नकली औषधियों एवं कार्यवाही के दौरान लोकसेवक को रिश्वत देने के अपराध में एक करोड़ की नगदी सहित, एसटीएफ द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 23/24/25/26–08–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 व औषधि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उ0प्र0 की संयुक्त कार्यवाही के दौरान SUN Farma की Rosuvas व Sanofi India कम्पनी की Allegra व अन्य विभिन्न कम्पनियों की काउण्टर फीट (नकली) दवाओं का क्रय/विक्रय करने वाला फर्म मेसर्स हे–माँ मेडिको एजेन्सी का मालिक हिमांशु अग्रवाल नकली औषधियों के भण्डारण एवं विक्रय व लोकसेवक को रिश्वत देने के अपराध में एक करोड़ रूपये मय नगदी के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– हिमांशु अग्रवाल पुत्र पवन कुमार अग्रवाल निवासी जी 48 कर्मयोगी, थाना कमलानगर, कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी का विवरण।

1– एक करोड़ रूपये नगद (500–500 रूपये की दौ सौ गड्डियां)

2– एक अदद एप्पल ब्लैक कलर, एक अदद कीपैड मोबाइल फोन

3– SUN Farma की Rosuvas व Sanofi India कम्पनी की Allegra व अन्य विभिन्न कम्पनियों की कुल 76370 पत्ते जिसका बाजार मूल्य लगभग 2,92,59,136/–रूपये

4– एक लैपटाप

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांक–24–08–2025 समय– 02:15 बजे पीएम पार्किंग स्टैण्ड, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित व सैम्पल, डुप्लीकेसी की दवाओ के भण्डारण/ब्रिकी करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 आगरा इकाई को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कमिश्नरेट आगरा क्षेत्र में नकली दवाओं की अन्तर्राज्यीय स्तर पर बड़े स्तर पर भण्डारण/बिक्री हो रही है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा मय टीम के श्री नरेश मोहन दीपक सहायक आयुक्त, औषधि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग बस्ती मण्डल उ0प्र0 को इस सूचना से अवगत कराते हुए स्थानीय थाना पुलिस को साथ लेकर फर्म मेसर्स हे–माँ मेडिको एजेन्सी के गोदाम में जॉच हेतु पहुॅची। तकनीकी टीम द्वारा निरीक्षण एवं जाँच के दौरान विभिन्न मेडिकल कम्पनी की दवाईयाँ स्टोर मे अवैध रूप से भंडारित पायी गयीं, जिनमें से SUN Farma की Rosuvas 20 मिली ग्राम बैच न0–एसआईएफ 2305–ए व रोसुवास 40 बेच न0 एसआईएम 2733ए के नमूने की फोटो कम्पनी के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र आहुजा जो की मौके पर उपस्थित थे, उन्होने उस फोटो को अपनी सिक्कम स्थित फैक्टरी में भेजकर जाँच कराई तो ज्ञात हुआ कि भेजी गयी दवाई की फोटो नकली है, जो कम्पनी द्वारा नही बनाई गयी है। इसी प्रकार Sanofi India कम्पनी की Allegra नामक औषधि की भी 90 हजार गोलियाँ काउन्टर फिट (नकली) पायी गयी है। औषधियों की गिनती व इसके नमून का कार्य औषधी विभाग की टीम द्वारा किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना एमएम गेट, कमिष्नरेट पर मु0अ0सं0– मु0अ0सं0–37/2025 धारा 318(2)/318(4)/61(2)/111 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया। हिमांषु अग्रवाल का अवैध औषधियों का टैम्पो भी पकड़ा गया, जिसमें SUN Farma की Rosuvas व Sanofi India कम्पनी की Allegra व अन्य कम्पनियों की अवैध औषधिया थी, बरामद की गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली, कमिष्नरेट आगरा पर मु0अ0सं0–61/2025 धारा 318(2)/318(4)/61(2)/111/ 341(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसी मध्य फर्म के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने अपने नकली दवाई हटाने और नमूना न लेने के एवज में तथा किसी अन्य व्यापारी का माल पकड़वाने का प्रस्ताव रखा और स्वयं को बचाने के एवज में अच्छी खासी धनराशि देने का लालच दिया और कहा कि मेरे गोदाम में पाई गयी नकली दवाईयों को हटा दो और जॉच की कार्यवाही रोक दो और मेरे बताये गये लोगों को दबोच लो मुझे छोड़ दो। इस एवज में एक करोड़ रूपये रिश्वत के रूप में दिये, जिस पर हम टीम सदस्यों ने जब बैग खोलकर देखा तो 500–500 रूपये की अनेक गड्डियॉ रखी थी, जिसपर तत्काल उक्त फर्म के मालिक हिमांशु उपरोक्त को लोक सेवका को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तद्उपरान्त आयकर विभाग को सूचित किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरी तीन अन्य फर्म, मेडीकल की एजेन्सी आदि है। मै चेन्नई, पाण्डीचेरी व अन्य राज्यों से डुप्लीकेट दवाओं का व्यापार करता हूॅ। पूर्व में भी मेरी इनकम टैक्स, जी0एस0टी0, कस्टम जॉच हो चुकी है। अनुचित लाभ से मैंने अपना व्यापार में जल्दी ही बढ़ोत्तरी की है। मैंने सोचा था कि मैं रिश्वत में पैसे देकर बच जाउगॉ और अन्य का माल पकडवा दूगॉ।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध रिश्वत देने के आरोप में थाना कोतवाली, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0सं0–60/2025 धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधि0–1988 यथा संशोधित अधि0–2018 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा बरामद दवाइयों के सम्बन्ध में कमिश्नरेट आगरा के थाना कोतवाली मु0अ0सं0–61/2025 धारा 318(2)/318(4)/61(2)/111/341(1) बीएनएस व थाना एमएम गेट पर मु0अ0सं0– मु0अ0सं0–37/2025 धारा 318(2)/318(4)/61(2)/111 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्तर पर की जा रही है।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना दशाश्वमेध

- **25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 03 हजार 800 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 27.08.2025 को थाना दशाश्वमेध व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवदासपुर, मंडुआडीह के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–हरिओम उर्फ सत्यम सहित अभियुक्त 2–आशीष कुमार उर्फ गड्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 03 हजार 800 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त हरिओम उर्फ सत्यम थाना दशाश्वमेध पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था,जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरिओम उर्फ सत्यम निवासी शिवदासपुर थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

2–आशीष कुमार उर्फ गड्डी निवासी शिवदासपुर थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 03 हजार 800 रूपये नगद बरामद

जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.08.2025 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरपतनगर तालाब के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अकील को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना स्वार पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अकील निवासी नरपतनगर दुंदावाला थाना स्वार जनपद रामपुर।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ट्रांस यमुना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26/27.08.2025 की रात्रि थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहदा कट के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अंकुश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना ट्रांस यमुना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकुश निवासी कटरा वजीर खॉ थाना एत्मादौला, आगरा।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 लाख 95 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 26.08.2025 को थाना कोतवाली नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला मंसूरगंज से 02 अभियुक्तों 1–देवानंद 2–मोहित लाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 लाख 95 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवालीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवानंद निवासी परसौरा माफी थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

2–मोहित लाल निवासी परसौरा माफी थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–चोरी की 03 लाख 95 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

<u>थाना मुरादाबाद/थाना कोतवाली नगर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 24 हजार 700 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त जुबेर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 24 हजार 700 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.08.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जुबेर निवासी गली नं0–ए 3 ईदगाह थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 03 लाख 24 हजार 700 रूपये नगद आदि।

<u>जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **19 हजार 800 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 26.08.2025 को जनपद कानपुर देहात व कमिश्नरेट कानपुर नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1– गुड्डू 2– निखिल को

गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 19 हजार 800 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त निखिल के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

2–निखिल निवासी शिवाजी नगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–19 हजार 800 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

- **जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/368 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू 2–राकेश 3–बाबू 4–हेमंत 5–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————